—// **छ0ग0 राज्य विरूद्ध रोहित सोनी** //—

आपराधिक प्रकरण कमांक—2814/2022

Witness No.......**.....04........** for.....................**अभियोजन साक्षी**..................... Deposition taken the........**23rd** .... **day of...**..... जून 2023..Witness's apparentage....42... year States on affirmation..शपथ पूर्वक...my name is...... फलेन्द्र प्रसाद पैंकरा .... Son/Daughter/wife..... स्व0 नानसाय ....occupation........ प्रधान आरक्षक 352 ....

address........, पुलिस थाना बतौली, जिला—सरगुजा छ0ग0...

शपथ दिलाई गई।

परीक्षण प्रारंभ 04:28

//मुख्यपरीक्षण द्वारा श्रीमती जितेश्वरी सोनवानी, ए.डी.पी.ओ. वास्ते अभियोजन //

01. मैं वर्ष 2022 में थाना अंबिकापुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। पदस्थापना के दौरान दिनांक 21-06-2022 को प्रार्थी रीना सोनी ने थाना में आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें रोहित सोनी द्वारा बीच रास्ते में छेड़खानी करने, जान से मारने की धमकी देने, तेजाब फेंकने व उसके पति को हाईवा से कुचलने की धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर मेरे द्वारा थाना का अपराध क्रमांक 537/22 अंतर्गत धारा 354, 354क, 294, 506 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रथम सूचना पत्र प्र०पी०-2 के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रविन्दर सिंह, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त //

02. यह कहना गलत है कि साधारण वाद-विवाद की शिकायत के संबंध में थाने में हमने गलत सलाह देकर अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर धाराओं में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई थी। यह कहना गलत है कि प्रार्थिया द्वारा बताई गई वास्तविक घटना के संबंध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज न कर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने में हुये विलंब के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थिया को पढ़कर भी नहीं सुनाई है।

प्रति परीक्षण समाप्त 04:33

गवाह को पढ़कर सुनाया,

सही होना स्वीकार किया।

सही/-
(कु० आकांक्षा सक्सेना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/-
(कु० आकांक्षा सक्सेना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा (छ०ग०)